(लोक सभा द्‌वारा 27-06-2019 को पारित रूप में)

2019 का विधेयक संख्यांक 83-सी

[दि होम्योपैथी सेन्ट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्‌वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह 2 मार्च, 2019 को प्रवृत्त होगा ।

1973 का 59

धारा 3क का संशोधन ।

2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3क की उपधारा (2) में "एक वर्ष की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

3. (1) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 निरसित किया जाता है । 2019 अध्यादेश सं0 11

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1973 का 59

MGIPMRND—944LS(CRC)—27-6-2019.